

फर्द अहकाम

शौलेन शर्मा बनाम अरविन्द शर्मा

लय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर जयपुर

03/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	प्रकार का आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12/8/24	<p>पञ्जावणी पैदा हुई। वकील प्रार्थी अपन वकील प्रार्थी की वदत सुनी गई। पञ्जावणी व राजस्व रिकार्ड का आधोपान्त अवलोकन कलें व वकील प्रार्थी की वदत का मन्ग करने पर प्रथमदृष्ट्या केस व धुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं अतः इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्वाइ निषेधाज्ञा दिनांक 02/01/2024 को ता-फैसल दावा, स्वाइ (Absolute) किया जाता है प्रार्थी वाड तकमील दाविल वपत्त है। पञ्जावणी नुम्का से कल धेका मूक वाड के साथ संबन्ध है। सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	

